रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21 1940
No. 470] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सा. का. नि. 632(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 414 के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 729 (अ), तारीख 21 सितंबर, 2015 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के नियम 3 में, -

(i) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुकों को अंतर्लिखित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन उस वेतन के स्तर पर नियत किया जाएगा, जिसे वह अपने पूर्व पद को छोड़ते समय आहरण कर रहा था";

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक इस उप-नियम में उपबंधित अध्यक्ष के वेतन के तत्स्थानी किसी अन्य हकदारी को प्रभावित नहीं करेगा";

(ii) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुकों को अंतर्लिखित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्य, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर उच्चतर वेतनमान आहरित कर रहा हो या किया हो का वेतन 80,000 रु की सीमा के अधीन रहते हुए, उस वेतन के स्तर पर नियत किया जाएगा, जिसे वे अपने पूर्व पद को छोड़ने के समय आहरण कर रहे थे।

परंतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक इस उप-नियम में उपबंधित सदस्य के वेतन के तत्स्थानी किसी अन्य हकदारी को प्रभावित नहीं करेगा";

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. ए-45011/25/2018-प्रशा.IV]
ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, , खंड 3 उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 729(अ), तारीख 21 सितंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

G.S.R. 632(E).— In exercise of the powers conferred by section 469 read with section 414 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby amends the notification of the Ministry of Corporate Affairs number G.S.R 729 (E), dated the 21st September, 2015, namely:—

2. In the said notification, in rule 3, -

(i) in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the pay of a serving or retired Chief Justice of a High Court on his joining as President, National Company Law Tribunal shall be fixed at the level of pay which he was drawing at the time of demitting his previous office:

Provided further that the above proviso shall not affect any other entitlement corresponding to the pay of the President as provided in this sub-rule";

(ii) in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the pay of a serving or retired government officer or Chairman, Vice-chairman, President, Vice-president, Presiding officer, Member of a Tribunal, Appellate Tribunal or an authority, or a judge of a High Court, who is or has been drawing higher pay, on their joining as Member, National Company Law Tribunal shall be fixed at the level of pay which they were drawing at the time of demitting their previous employment, subject to a limit of Rs 80,000:

Provided further that the above proviso shall not affect any other entitlement corresponding to the pay of a Member as provided in this sub-rule".

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

[F.No. A-45011/25/2018-Ad.IV)]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number GSR 729(E), dated the 21st September, 2015.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.14 16:56:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.